

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय:-प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) के आदेश की पालना के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: प.24(1)प्रसु/सम/अनु-1/2015 जयपुर दिनांक 17.02.2020 संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त आदेश के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-आदेश की प्रति।

(एम.आर. बागड़िया)

अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

क्रमांक:-रास्कूशिप/जय/संस्था-2/2019-20/10681

दिनांक 24/2/2020

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त उपायुक्त/अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

(अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम)



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक:- पं. 24(1)प्रसु/सम/अनु-1/2015

जयपुर, दिनांक:- 17-02-2020

परिपत्र

शासन द्वारा समय-समय पर परिपत्र/आदेश जारी किये जाकर राजकीय भवनों (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित भवनों) के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो राजकीय धनराशि से आयोजित हों, चाहे वे किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था के हो, में जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों, विशेषतः कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से सम्बंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने के सम्बंध में निर्दिष्ट किया गया है। परन्तु समय-समय पर माननीय जनप्रतिनिधियों से उक्त क्रम में प्राप्त शिकायत पत्रों से स्पष्ट होता है कि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से जारी इन परिपत्रों/आदेशों की पालना में लापरवाही बरती जा रही है जो कि अत्यंत गम्भीर विषय है। अतः उक्त क्रम में जारी परिपत्रों प. 19(16)प्रसु/अनु-1/1995 दिनांक 14.11.1995, 23.08.1999, 23.04.2002, 30.11.2007, प. 10(2)प्रसु/अनु-1/1996 दिनांक 19.07.2001 एवं 24(1)प्रसु/अनु-1/2015 दिनांक 09.10.2015, 05.04.2018 के अतिक्रमण में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. राजकीय भवनों/आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित राजकीय भवनों/ सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो कि राजकीय धनराशि से आयोजित हों, जो कि राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था -पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, के हो में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों, विशेषतः कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से सम्बंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे।
2. माननीय जनप्रतिनिधियों को राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन, सार्वजनिक समारोह से सम्बंधित सूचनाएँ तीव्रतर संचार साधनों/माध्यमों से भेजी जाए ताकि वे समय पर उन्हें मिल जावें।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि द्वारा सूचना की प्राप्ति की पुष्टि सम्बंधित अधिकारी द्वारा कर दी गई है।
4. जनप्रतिनिधिगण के बैठने की समुचित व्यवस्था कि जावे एवम् ध्यान रखा जावे कि समारोह में आमंत्रित किसी जनप्रतिनिधि को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। समारोह में आमंत्रित जनप्रतिनिधिगण को ससम्मान बैठाने की व्यवस्था की जावे।
5. सरकारी सेवकों को सांसदों/विधायकों से सम्पर्क के दौरान सदैव शिष्टता और सम्मान दर्शित करना चाहिए।
6. इस बात का सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना तथा उचित जवाब देना चाहिए।

7. राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही सम्पन्न कराये जावें। अधिकारीगण राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि नहीं करें तथा शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं करवाये।
8. जिन राजकीय कार्यों को (विकास आदि से सम्बंधित) क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें व कोई आश्वासन भी न दें।
9. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों/भवनों एवं बस्तियों अथवा राज्य सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों के नाम द्वारा सम्बोधित नहीं किये जावें।
10. राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, विभिन्न जनसुनवाई कार्यक्रमों व राजकीय समारोहों में अधिकारीगण साफा/माला नहीं पहनें।

सभी संबंधित अधिकारीगण को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना को राजस्थान सिविल सेवाए (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। अतः समस्त राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।


 (डी. बी. गुप्ता)
 मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/कार्यालयाध्यक्षों को इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए इनकी पालना कठोरोता से सुनिश्चित करावें तथा इस सम्बंध में निरन्तर प्रभावी मॉनिटरिंग की जावें:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।